

(6)


कार्यालय महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- प.11(01)प्रशि/पॉलिसी/2020/ 1035 दिनांक:- 20/2/2020

स्थायी आदेश क्रमांक.....06./2020


राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (3) के तहत उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग प्रशिक्षण कराने हेतु स्थायी आदेश क्रमांक 07/2016 द्वारा 09 सप्ताह (63 दिन) का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों का आगामी पंचायत समिति एवं जिला परिषद के चुनावों को देखते हुए पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम की अवधि को 06 सप्ताह (42 दिन) की अवधि का संलग्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर को भेजकर लेख है कि दिनांक 17.02.202 से आपके प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हो रही उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक पद की पी.सी.सी. संलग्न पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित करवाने की व्यवस्था करें।
5. समस्त रैंज महानिरीक्षक पुलिस/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. प्रधानाचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ़।
9. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स, राजस्थान।
10. समस्त कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, राजस्थान/पीसीटीएस, जोधपुर/पीएमडीएस, बीकानेर।


अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक

पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

(प्रशिक्षण अवधि- 05 सप्ताह, परीक्षा अवधि-1 सप्ताह)

1	कुल अवधि	42 दिन
2	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन	30 दिन
3	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए 30 (दिवस) x 6 (कालांश)	180 कालांश
4	बहिरंग प्रशिक्षण के लिय 30 (दिवस) x 2 (कालांश)	60 कालांश
5	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षाएं	3 दिन
6	इण्डोर परीक्षाएं	3 दिन
7	खेल 30x1	30 कालांश

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :-

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों का योग का 50 प्रतिशत (एग्ग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एवं निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक मूल्यांकन) अंको के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षाएँ मस्केट्री एवं फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंकतालिका बोर्ड के अध्यक्ष को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
4. परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :-
 1. महानिरीक्षक पुलिस अध्यक्ष
 2. उप महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक सदस्य
 3. उप निदेशक एवं प्राचार्य सदस्य सचिव

राजस्थान पुलिस
 उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक
 पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
 अंतरंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विवरण

प्रश्न पत्र - 1

पूर्णांक-100

वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

कालांश - 57

मॉड्यूल-एक - वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी

कालांश- 24

अ- भारतीय दण्ड संहिता -

कालांश- 10

क्र.सं.	विषयवस्तु
1	धारा 75, 99, 100, 103, 107, 120ए, 120बी, 124ए
2	धारा 153ए, 153एए, 153 बी, 166ए, 164बी, 174ए, 188, 195ए,
3	धारा 201, 204, 212, 216ए, 223, 224, 225, 228ए, 229ए, 295, 295ए,
4	धारा 299, 300, 302, 304, 304बी, 306, 307, 326ए, 326बी
5	धारा 330, 331, 348, 354ए से 354 डी, 364ए, 370, 370ए
6	धारा 375, 376, 376ए से 376 ई,
7	धारा 378, 383, 390, 391, 396, 399, 400, 401, 402
8	धारा 419, 420, 436, 460, 463 से 471, 498ए

ब-दण्ड प्रक्रिया संहिता -

कालांश- 08

क्र.सं.	विषयवस्तु
1	धारा 41 से 60, 82, 83, 91 से 100, 102
2	122, 129 से 133, 144, 144ए, 145, 146
3	436 से 439, 446, 446ए
4	451 से 459, 468 से 473, 482

स-साक्ष्य अधिनियम -

कालांश- 06

क्र.सं.	विषयवस्तु
1	परिभाषाएं - धारा 3
2	धारा 17, 24 से 27, 32
3	धारा 45, 45ए, 46, 47, 47ए
4	धारा 62, 63, 65ए, 65बी, 67ए, 101
5	धारा 113ए, 133बी, 114ए, 118, 119, 133
6	धारा 141 से 143, 154, 159, 160, 161

मॉड्यूल-दो - अनुसंधान :- सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक

कालांश- 33

अ- अनुसंधान (विधिक प्रावधान)

कालांश- 04

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से 176, 82, 83, 299, 306 से 308

ब- व्यवहारिक कार्य

कालांश- 04

अनुसंधान का व्यवहारिक कार्य - प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, सबूतों की सुरक्षा, नक्शा मौका, घटनास्थल से पद चिन्ह एवं चांस प्रिन्ट उठाना, साक्ष्य उठाना, पेकेजिंग, एफ.एस.एल. भेजा जाना, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफ्तारी, केस डायरी, सफीना, रिमाण्ड, आई.आर./पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चिकित्सक की राय लेना, मफरूरी कार्यवाही, वादा माफी गवाह की कार्यवाही, अंतिम रिपोर्ट।

स- विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. साम्प्रदायिक तनाव से सम्बन्धित प्रकरण

कालांश- 04

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 295, 295ए
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- साम्प्रदायिक तनाव प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना, गोपनीय रिपोर्ट भिजवाना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- अपराध से सम्बन्धित ऑडियो / विडियो फुटेज सलंगन करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

2. मानव शरीर के विरुद्ध अपराध

कालांश- 04

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 302, 304, 326ए, 307
- एस.आर. जारी करना।
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1), मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना।
- पंचायतनामा तैयार करना एवं पोस्टमार्टम करवाना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- जब्तशुदा आर्टिकल को एफ.एस.एल. भिजवाया जाना व रिपोर्ट प्राप्त करना।
- आरमोरर की रिपोर्ट प्राप्त करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

3. बलात्कार से सम्बन्धित प्रकरण

कालांश- 04

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 376, 376ए से 376 ई तक
- एस.आर. जारी करना।
- पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया जाना।
- अनुसंधान से सम्बन्धित नवीनतम संशोधनों की पालना करना।
- अभियुक्त का चिकित्सकी परीक्षण करवाना एवं नमूने सेम्पल लेना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।

- जब्तशुदा आर्टिकल को एफ.एस.एल. भिजवाया जाना व रिपोर्ट प्राप्त करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।
- व्यवहारिक समस्याएं एवं समुह परिचर्चा।

4. सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रकरण

कालांश— 05

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 395, 396, 460
- एस.आर. जारी करना।
- पंचायतनामा तैयार करना एवं पोस्टमार्टम करवाना।
- कार्यप्रणाली शाखा से समन्वय।
- पेशेवर गेनास् की सर्विलान्स व घटना के दिन की गेना के सदस्यों की लोकेशन।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- जब्तशुदा आर्टिकल को एफ.एस.एल. भिजवाया जाना व रिपोर्ट प्राप्त करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

5. कूटरचना से सम्बन्धित प्रकरण

कालांश— 04

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 467, 468, 469, 470, 471
- कूटरचित दस्तावेज प्राप्त करना।
- स्पेशीमेन हस्ताक्षर/हस्तलेख/अंगूठा निशानी प्राप्त करना।
- विवाद रहित हस्ताक्षर/हस्तलेख/अंगूठा निशानी लेना।
- विवादित दस्तावेजों से सम्बन्धित रिकॉर्ड प्राप्त करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- जब्तशुदा दस्तावेज को एफ.एस.एल./फिंगर प्रिन्ट ब्यूरो भिजवाया जाना व रिपोर्ट प्राप्त करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कूटनी नोट बनाना।

6. संगठित अपराधों का अनुसंधान

कालांश— 04

- आसूचना संग्रहण
- संगठित अपराधियों का रिकॉर्ड एकत्रित करना
- सेलफोन ट्रेकिंग एवं कॉल डिटेल् का विश्लेषण करना
- साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- विविध एजेन्सीज से समन्वय
- विदेश में रह रहे अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जावे।

प्रश्न पत्र – II

विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

मॉड्यूल-तीन – विविध अधिनियम

पूर्णांक :-100

कालांश :- 57

कालांश – 33

1. **(I.T.Act).** सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
● अधिनियम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी
● अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की व्यवहारिक जानकारी
● प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
● अनुभव आधारित विधिक परिचर्चा
● साइबर अपराध की जानकारी (over view)
कालांश- 06
2. **(N.D.P.S.Act) 1985** (स्वापक औषधी और मनःप्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार, निवारण)
● अधिनियम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी
● अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की व्यवहारिक जानकारी
● प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
● अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी
● अनुभव आधारित विधिक परिचर्चा
कालांश- 06
3. **(POCSO Act).** (यौन अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012)
● अधिनियम के अन्तर्गत महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी
● अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की व्यवहारिक जानकारी
● प्रकरण की अनुसंधान पत्रावली तैयार करना
● अनुभव आधारित विधिक परिचर्चा
कालांश- 06
4. अन्य अधिनियमों की जानकारी
● (J.J.Act). किशोर न्याय (बालको की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2000
● (P.C.Act) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988)
● (E.C.Act). आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 – संशोधित 2009
● (PCPNDT Act). गर्भधारण पूर्व और प्रसूती पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994
● (PDPP Act) लोक सम्पति हानि निवारण अधिनियम 1984
● (PASSPORTAct). पासपोर्ट अधिनियम 1967 (संशोधित 1993)
● घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
● कार्य स्थल महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, निषेध एवं सुधार) अधिनियम .2013
● बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 (संशोधन 2016)
● बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006
कालांश- 15

A - परिशान्ति/ सदाचार बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही

कालांश- 08

- 122 सीआरपीसी की कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना
- 133 सीआरपीसी की कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना
- 145 सीआरपीसी की कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना

B - लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु कार्यवाही

कालांश- 16

- 144, 144क सीआरपीसी की परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही तथा उल्लंघन पर 188 आईपीसी की कार्यवाही
- N.S.A में निरोधात्मक कार्यवाही की जानकारी एवं इस्तगासा तैयार करना
- GUNDA Act में निरोधात्मक कार्यवाही की जानकारी एवं इस्तगासा तैयार करना
- H.O. Act में निरोधात्मक कार्यवाही की जानकारी एवं इस्तगासा तैयार करना
- RAJ P.A.S.A में निरोधात्मक कार्यवाही की जानकारी एवं इस्तगासा तैयार करना

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जावे।

प्रश्न पत्र - III

पुलिस थाना/कार्यालय की कार्यप्रणाली

मॉड्यूल-पांच -थाना प्रबन्धन एवं संचालन
अ-विधिक प्रावधान -

पूर्णांक :- 100

कालांश :- 33

कालांश :- 08

- राजस्थान पुलिस नियम-1965 के नियम 3.1, 3.2, 3.10 से 3.14, 3.34, 3.37 से 3.40, 5.1, अध्याय 6 एवं 7
- राजस्थान पुलिस एक्ट - 2007 की धारा 2, 10, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 32 से 39, 43, 44, 55, 60
- राजस्थान पुलिस नियम - 2008 - सामान्य जानकारी
- लोकसेवा गारण्टी अधिनियम - 2012 परिचय, सामान्य जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम -1958 नियम 14, 15,16,17,18 व 19

ब-दैनिक कार्यवाही -

कालांश :- 08

- रोलकॉल की उपयोगिता
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क
- केस ऑफिसर स्कीम, हार्ड कोर क्रिमिनल स्कीम, सीएल0जी0
- बीट प्रणाली - सम्पूर्ण बीट वर्क मोड्यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुखबिर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलिजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ोसी होना, सम्बल योजना, नौकरों का रिकार्ड, सी.पी.ओ., सी.एल.जी.सदस्यों से समन्वय
- बीट अधिकारी/ कर्मचारी का समुचित पर्यवेक्षण।
- यातायात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)

स- थाना अधिकारी

कालांश 08

- थाने पर प्राप्त सूचना पर कार्यवाही (पुलिस रेसपोन्स टाइम) :- परिवाद, एफआईआर, कानून व्यवस्था आपराधिक आसूचना आदि।
- थाने पर उपलब्ध बल का समुचित नियोजन।
- गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।
- महिलाओं/बालकों के सम्बन्ध में नवीनतम सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी।
- कानून व्यवस्था ड्यूटी में बाहर से आने वाले जाते का समायोजन एवं प्रबन्ध।
- थाने पर उपलब्ध बलों के कल्याण एवं मैसेस व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध।
- महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों में घटनास्थल का निरीक्षण एवं महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करना।
- सी0एल0जी0 एवं शान्ति समिति के कार्यों में थानाधिकारी की भूमिका
- राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र/स्थाई आदेश

द- कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण एवं प्रबन्धन

कालांश 05

य- पुलिस अधीक्षक कार्यालय की अपराध शाखा एवं विशेष शाखा की जानकारी

कालांश 02

र- पुलिस लाईन में आरआई की भूमिका

कालांश 02

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जावे।

प्रश्न पत्र – IV

नेतृत्व कौशल, मानव व्यवहार, विधि विज्ञान एवं कम्प्यूटर

पूर्णांक :- 100

माध्यूल-छः-

कालांश :- 33

अ. नेतृत्व कौशल एवं मानव व्यवहार

1. संगठनात्मक व्यवहार – **(Organizational behaviour)** कालांश- 04
 - संवाद- मौखिक, लिखित, सांकेतिक व्यवहार विश्लेषण (Communication-oral, written, non verbal, transactional analysis)
 - समूह गतिकी एवं समूह निर्माण . (Group dynamics and team building)
 - नेतृत्व (Leadership)
 - अभिप्रेरण (Motivation) विभिन्न सिद्धांत: व्यक्तिगत एवं पारिस्थितिक कारक (Different Theories : Personal and Environment factor)
2. मानव व्यवहार **(Human Behavior)** कालांश- 03
 - व्यक्तित्व के प्रकार (Types of personality)
 - नेतृत्व कौशल (Leadership skill)
 - शक्ति एवं प्राधिकार (Power and authority)
 - शक्ति के प्रकार (Types of power)
 - नेतृत्व एवं निर्णय लेने के तरीके (Leadership and decision making styles)
3. नैतिक व्यवहार **(Ethical behaviour)** कालांश- 03
 - पुलिस के कार्यों में नैतिकता की सार्थकता (Relevance)
 - व्यावसायिक नैतिकता
 - लोक सेवा की अवधारणा
 - पुलिसिंग के मूलभूत सिद्धान्त
 - लोकतंत्र एवं विधि का शासन- न्याय एवं निर्णय, स्वतन्त्रता, सम्मान, पुलिस आचार संहिता
 - पुलिस कार्यों में नैतिक दृष्टिकोण- आपराधिक प्रकरणों का पंजीकरण, अनुसंधान एवं अभियोजन
 - महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठजनों से व्यवहार
4. मानव संसाधन प्रबन्धन **(Human Resource Management)** कालांश- 02
 - अधीनस्थ का व्यवसायिक सशक्तिकरण (Professional Competence)
 - संवाद, परस्पर व्यवहार एवं परामर्श हेतु प्रशिक्षण (Training for Communication, vegetations Counselling)
5. मूलभूत कौशल प्रबंधन **(Basic Management Skills)** कालांश- 04

- रिपोर्ट लेखन
- मीडिया प्रबंधन

ब - आसूचना एवं सुरक्षा -

कालांश -04.

- 1 आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियां
- 2 वी.आई.पी. सुरक्षा
- 3 बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक
- 4 सुरक्षा उपकरणों की जानकारी

स - विधि विज्ञान

कालांश - 06

- 1 अपराध अन्वेषण में जैव खण्ड की वैज्ञानिक सहायता एवं उपयोग संदिग्ध आसव /संदिग्ध मदिरा, एन.डी.पी.एस द्रव्यो आदि के नमूनों का परीक्षण, अग्रेषण एवं परीक्षण
- 2 विष देने के संभावित प्रकरणों में विसरा एवं जैव तत्वों का महत्व व परीक्षण
- 3 प्रलेख, लेख, हस्ताक्षरों के संबंध में विधि विज्ञान की सहायता व नमूनों का संकलन तथा परिणाम का उपयोग
- 4 आग्नेय अस्त्रो व विस्फोटको की जानकारी तथा उनके प्रकार
- 5 चोटों के प्रकार, शव परीक्षण, मृतक के शरीर पर पाये जाने वाले निशान, लक्षण तथा मृत्यु के कारण
- 6 D.N.A. ब्रेन मैपिंग, नारको टेस्ट की बैसिक जानकारी

घ - कम्प्यूटर बेसिक्स

कालांश - 07

Computer basics

- 1 Computer fundamental and importance of computer
- 2 Hardware and software of a computer system
- 3 Operating systems - windows (Theory, Practical)
- 4 Backup and storage Devices. Virus/Antivirus
- 5 Microsoft word - 2007 (Theory, Practical)
- 6 Microsoft excel - 2007 (Theory, Practical)
- 7 Overview of Networking - Internet, Searching & Emailing (Theory, Practical)
- 8 Social media
- 9 Mobile forensic/ CDR Analysis
- 10 Overview of CCTNS/ICJS

क्र.स.	विषय एवं संदर्भ	अंक
1	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि।	25
2	अनुशासन	25

राजस्थान पुलिस

उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक

पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विवरण	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
1	शारीरिक प्रशिक्षण	100	30	—	—
	A शारीरिक प्रशिक्षण	100	30	—	—
	क - फ्री-हैण्ड पी.टी.	—	—	40	12
	ख - योगासन, प्राणायाम	—	—	40	12
	ग - रोड़वाँक एण्ड रन 2 किमी (पुरुष :- दो किलोमीटर पैदल चाल/दौड़ - पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 12 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सेकेंड के 1 अंक कर दिया जावेगा) (महिलाओं :- एक किलोमीटर पैदल चाल/दौड़ - पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 09 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सेकेंड के 1 अंक कर दिया जावेगा)	—	—	20	06
2	शस्त्र प्रशिक्षण , मस्केट्री, फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स	100	30	—	—
	A फील्ड क्राफ्ट एवं टेक्टिक्स	30	16	—	—
	1. फील्ड क्राफ्ट	—	—	04	01
	2 पेट्रोलिंग	—	—	04	01
	3 नाकाबन्दी	—	—	04	03

4	अम्बुश	—	—	04	01
5	घेराबन्दी	—	—	04	01
6	बलवा परेड	—	—	10	09
	B शस्त्र प्रशिक्षण व मस्केट्री	70	14	—	—
	क - शस्त्र ज्ञान	20	10	—	—
	1. 9.एमएम पिस्टल/ .38रिवाल्वर, ग्लोक पिस्टल	—	—	10	04
	2. 9 एमएम स्टेनगन/कारबाईन	—	—	04	02
	3. रबड़ बुलेट, प्लास्टिक पेलेट, गैस गन एवं गैस ग्रेनेड	—	—	04	02
	4. विस्फोटको के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आई.ई.डी. में अन्तर, बम ब्लॉस्ट की क्रिया विधि / विस्फोटक डिवाईस/ विस्फोटक नमूने, आई.ई.डी.।	—	—	02	02
	ख - मस्केट्री व फायरिंग	50	04	—	04
	9एमएम पिस्टल/रिवाल्वर	—	—	—	—
	I एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड बैटलकारुच पोजीशन टारगेट फिगर -11	—	—	25	—
	II एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर -11	—	—	25	—
	कुल	200	60	200	60

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :-

9 एमएम पिस्टल/रिवाल्वर प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोट:- प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में माड्यूल का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा, यथा माड्यूल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं0 दो एवं तत्पश्चात् क्रमवार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।